

(15)

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 1970/फाल्गुन 14, 1891

No. 79]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 1970/PHALGUNA 14, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th March 1970

S.O. 935.—Whereas a vacancy has been caused in the Council of States by the death of Shrimati Violet Alva, a member elected to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Mysore, before the expiration of her term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Mysore to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before the 28th March, 1970.

[No. 100/CS-MY/6/69(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली 5 मार्च, 1970

का० आ० 935.—यतः मसूर विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्या श्रीमती वायलेट अल्वा की पदावधि के अवसान से पूर्व मृत्यु हो जाने से राज्य सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग मैसूर राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्वारा अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 28 मार्च 1970 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्वर्धन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा०स०—मैसूर/6/69(1)]

S.O. 936.—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MY/6/69(1), dated the 5th March, 1970.—

- (a) the 12th March, 1970 (Thursday), as the last date for making nominations;
- (b) the 13th March, 1970 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 16th March, 1970 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 25th March, 1970 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 28th March, 1970 (Saturday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-MY/6/69(2).]

का० आ० 936—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिमूचना सं० 100/रा०स०—मैसूर/6/69(1), तारीख 5 मार्च, 1970 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख — 12 मार्च, 1970 (गुरुवार)
 - (ख) नामनिर्देशन की मंजूरी की तारीख — 13 मार्च, 1970 (शुक्रवार)
 - (ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख — 16 मार्च, 1970 (सोमवार)
 - (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा — 25 मार्च, 1970 (बुधवार)
 - (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा — 28 मार्च, 1970 (शनिवार)
- एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100/रा०स०—मैसूर/6/69(2)]

S.O. 937.—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 A.M. to 1.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MY/6/69(1), dated the 5th March, 1970.

[No. 100/CS-MY/6/69(3).]

का० आ० 937:—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण निर्वाचन आयोग अपनी अधिमूचना सं० 100-रा०स०—मैसूर/6/69(1), तारीख 5 मार्च 1970 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/रा०स०—मैसूर/6/69(3)]

S.O. 938.—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Mysore, hereby designates Shri K. S. Thimmappa Gowda, Joint Secretary, Mysore Legislature, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MY/6/69(1), dated the 5th March, 1970.

[No. 100/CS-MY/6/69(4)]

का० आ० 938.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, मैसूर सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-मैसूर/6/69(1) तारीख 5 मार्च, 1970 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए श्री क० एस० थिम्मप्पा गाउडा, संयुक्त सचिव, मैसूर विधान मण्डल को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदार्पित करना है।

[सं० 100/रा० स०-मैसूर/6/69(4)]

S.O. 939.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints Shri V. B. Deshmukh, Deputy Secretary, Mysore Legislature, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MY/6/69(1), dated the 5th March, 1970, in performance of his functions.

[No. 100/CS-MY/6/69(5).]

By order,

A. N. SEN, Secy.

का० आ० 939.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं०-100/रा०स०-मैसूर/5/69 (1), तारीख 5 मार्च, 1970 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए श्री वी०बी० देशमुख, उप सचिव, मैसूर विधान मण्डल, को एतद्द्वारा नियुक्ति करता है।

[सं० 100/रा०स०-मैसूर/6/69(5)]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव।

